रजिस्ट्रीसं०डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकारसेप्रकाशित
PUBLISHEDBYAUTHORITY

सं. 2633] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर, 26, 2014/पौष 5, 1936
No. 2633] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 26, 2014/PAUSHA 5, 1936

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

(क्षेत्रीय कार्यालय मुख्यालय प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2014

का. आ. 3270(अ).—केंद्रीय सरकार, वन (संरक्षण) नियम, 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 4क के उपनियम (1) के अनुसरण में, उसमें विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने और कृत्यों को करने के लिए, क्षेत्रीय कार्यालय, पूर्वोत्तर जोन, शिलांग में क्षेत्रीय सशक्त समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् यथा क्षेत्रीय सशक्त समिति कहा गया है) गठित करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य समाविष्ट होंगे, अर्थात् :—

(i)	अध्यक्ष क्षेत्रीय कार्यालय, पूर्वोत्तर जोन, शिलांग	अध्यक्ष
(ii)	मुख्य वनपाल या वनपाल, क्षेत्रीय कार्यालय, पूर्वोत्तर जोन, शिलांग की पंक्ति के अधिकारियों में से ज्येष्ठतम अधिकारी	सदस्य
(iii)	श्री फेसमसेकोंग, ग्राम टिप्पी, पी.ओ. भालुकपोंग, जिला–पश्चिमी कामेंग–790114 अरुणाचल प्रदेश (ई मेल -fesomsekong@gmail.com)	अशासकीय-सदस्य

(iv) श्री यमबोस मर्रे, अशासकीय-सदस्य
म. सं. 252, ग्राम सिगनल अनगामी,
जिला–दीमापुर–797112 नागालैण्ड
(ई मेल – yambos@outlook.com)

(v) डा. परिमल चन्द्र भट्टाचारजी, अशासकीय-सदस्य
ए/3, आशियाना हाउसिंग,
मालेगांव, गुवाहाटी–781011 असम
(ई मेल – bhattapc@gmail.com)

(vi) उपवनपाल, क्षेत्रीय कार्यालय, पूर्वोत्तर जोन, शिलांग की पंक्ति के अधिकारियों में से ज्येष्ठतम अधिकारी सदस्य-सचिव

2. इसके नीचे विनिर्दिष्ट राज्यों के नीचे उल्लिखित अधिकारी उनके अपने अपने राज्यों में वन भूमि के अपयोजन से संबद्ध प्रस्तावों के परीक्षण के लिए क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक में हाजिर होने के लिए विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(क) अरुणाचलप्रदेश:

(i) नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, अरुणाचल प्रदेश सरकार;
(ii) निदेशक, भूमि प्रबंधन, अरुणाचल प्रदेश सरकार;

(ख) असम:

(i) संयुक्त सचिव, पर्यावरण और वन विभाग, असम सरकार;

(ii) संयुक्त सचिव, राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग, असम सरकार;

(ग) मणिपुर:

(i) नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, मणिपुर सरकार;
(ii) सचिव, राजस्व विभाग, मणिपुर सरकार;

(घ) मेघालय:

(i) नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, मेघालय सरकार;

(ii) संयुक्त सचिव, राजस्व विभाग, मेघालय सरकार;